ting points, ...

राजस्थान सरकार
सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्रमांकः पीएस/सू.प्रौ./20 जयपुर, दिनांकः 26.03.2020

:: कार्यालय आदेश ::

मुख्य सचिव, राजस्थान की आज्ञा क्रमांक मु.स.का/जयपुर/2020/स्पे.–1 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) के खतरे से निपटने के लिए श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में एक Crisis Management Group (CMG) की स्थापना की गई है।

कोरोना वायरस के फैलने के परिणामस्वरूप प्रदेश में किये गये लॉक डाउन में आने वाली समस्त समस्याओं व जन साधारण से प्राप्त होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एक वाररूम की भी स्थापना की गई है जो शासन सचिवालय के लाईब्रेरी भवन के प्रथम तल पर क्रियाशील हो चुका है।

वाररूम में तीन पारियों में लगातार प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो सतत् मानिटरिंग करेंगे व आवश्यक बिन्दुओं पर समाधान के लिए CMG एवं सम्बन्धित अधिकारी के ध्यान में लायेंगे। इस हेतु श्री के.के.पाठक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल अधिकारी रहेंगे।

निर्देशों में पुनरावृत्ति न हो तथा निर्देशों की एकलता (Unity of Command) की दृष्टि से सम्भागवार अधिकारी सम्बन्धित जिला कलक्टर्स से संवाद/निर्देश हेतु अधिकृत किये गये हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर राज्य स्तर से उक्त अधिकारी जिला कलक्टर से संवाद करेंगे।

सम्भागवार प्रभारी अधिकारी इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	सम्भाग	अधिकारी का नाम एवं पद	फोन नम्बर
01.	जोधपुर	श्री संदीप वर्मा, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग	9413311032
02.	कोटा	श्री नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, कृषि विभाग	9982070704
03.	बीकानेर	श्री भास्कर–ए.सावंत, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।	9929111199
04..	जयपुर	श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग	8432007007
05.	अजमेर	श्री दिनेश कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राराविप्रनिलि., जयपुर	9414021555
06.	भरतपुर	श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग।	8696055555
07.	उदयपुर	श्री आशुतोष पेडणेकर, प्रबन्ध निदेशक, रिको	9414515477

Scanned with CamScanner

वाररूम में कार्यरत अधिकारीगण् किसी मुद्दे पर आवश्यक होने पर उपर वर्णित सम्भाग के प्रभारी अधिकारीगण् के आवश्यक तथ्य ध्यान में लाकर सम्बन्धित जिले के कलक्टर से वार्ता करवायेंगे। इससे पूर्व वे जिले में स्थित वाररूम/नियंत्रण कक्ष के प्रभारी/अतिरिक्त जिला कलक्टर से उक्त बिन्दु पर फीडबैक/सामान्य जानकारी भी प्राप्त कर सम्बन्धित प्रभारी को उससे अवगत करवायेंगे।

सभी जिलों के वार-रूम/नियंत्रण कक्ष के प्रभारी/ए.डी.एम. व राज्य स्तरीय वार-रूम में कार्यरत अधिकारीगण् का एक वाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय वार-रूम के अधिकारीगण् उक्त वाट्सएप ग्रुप पर सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान कर सकेंगे।

सम्पर्क पोर्टल पर कोरोना महामारी से संबंधित प्राप्त हो रही शिकायतों/प्रार्थना-पत्रों की Covid-19 PANDAMIC के नाम से अलग से आईडेन्टीफाई कर दिया गया है। आमजन को तत्काल राहत देने व उनका आत्मविश्वास बनाये रखने के लिए यह अत्यावश्यक है कि इससे संबंधित शिकायतों पर अविलम्ब कार्रवाई की जाये तथा उसकी सतत् मॉनिटरिंग की जावे।

वार-रूम में कार्यरत सभी अधिकारियों का यह प्रथम दायित्व है कि वे समस्त जिलों में संबंधित विभागों के सम्पर्क में रहकर इन समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित् करवायें। ये समस्यायें अधिकांशतः चिकित्सा, रसद, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग से सम्बद्ध होंगी अतः वार-रूम के अधिकारी इन विभागों के फील्ड कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क कर समस्या का समाधान सुनिश्चित् करें।

सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर कोरोना वायरस से संबंधित प्राप्त हो रही समस्याओं की अद्यतन सूचना सम्भागवार तैयार करवाकर प्रतिदिन सम्भाग प्रभारी अधिकारीगण् को अवलोकनार्थ भिजवाई जायेगी।

वार-रूम की प्रथम पारी (प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक) के अधिकारीगण् आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से रोज प्रातःकाल सभी समाचार-पत्रों की कोरोना वायरस से संबंधित कटिंग्स का एक सैट प्राप्त करेंगे तथा उनमें वर्णित समस्याओं बाबत् प्रत्येक दिवस का जिलेवार समीक्षा नोट (Analysis Note) तैयार किया जाना सुनिश्चित् करेंगे। आयुक्त, जनसम्पर्क प्रतिदिन कटिंग्स टीम को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित् करेंगे।

वार-रूम की द्वितीय पारी (दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक) के अधिकारीगण् चिकित्सा विभाग से प्रतिदिन कोरोना वायरस से सम्बन्धित आवश्यक सांख्यिकीय आंकड़ों/सूचनाओं का अद्यतन सेट प्राप्त कर वार-रूम में उपलब्ध रखेंगें। इसी प्रकार वे गृह विभाग से भी गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने वाले सूचना प्रपत्रों की एक प्रति वार-रूम में रेकॉर्ड में रखना सुनिश्चित् करेंगे तथा एक-एक प्रति वार रूम के नोडल अधिकारी श्री के.के. पाठक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को भी प्रेषित करेंगे।

Scanned with CamScanner

वार–रूम में समस्त कार्रवाईयां सुचारू रूप से संपादित करने की दृष्टि से आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पृथक से तकनीकी कार्मिकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये है (प्रति संलग्न है)।

वार–रूम में विभिन्न पारियों में अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश कमांकः–पीएस/आयोजना/20 दिनांक 25.03.2020 की प्रति संलग्न है।

सभी सम्बद्ध निर्देशों की पालना सुनिश्चित् करें।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव
आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
05. सम्भाग प्रभारीगण् (समस्त)
06. जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक (समस्त)
07. आयुक्त जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
08. सम्बन्धित अधिकारीगण्।

प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

CS Scanned with CamScanner